Rule 95A: 1[****]

Rule 95A omitted by Noti. No. 14/2022–Central Tax, dt. 05-07-2022 w.e.f. 01-07-2019. Earlier to omission it read as under:

"A[Rule 95A: Refund of taxes to the retail outlets established in departure area of an international Airport beyond immigration counters making tax free supply to an outgoing international tourist

- (1) Retail outlet established in departure area of an international airport, beyond the immigration counters, supplying indigenous goods to an outgoing international tourist who is leaving India shall be eligible to claim refund of tax paid by it on inward supply of such goods.
- (2) Retail outlet claiming refund of the taxes paid on his inward supplies, shall furnish the application for refund claim in FORM GST RFD-10B on a monthly or quarterly basis, as the case may be, through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.
- (3) The self-certified compiled information of invoices issued for the supply made during the month or the quarter, as the case may be, along with concerned purchase invoice shall be submitted along with the refund application.
- (4) The refund of tax paid by the said retail outlet shall be available if-
 - (a) the inward supplies of goods were received by the said retail outlet from a registered person against a tax invoice;
 - (b) the said goods were supplied by the said retail outlet to an outgoing international tourist against foreign exchange without charging any tax;
 - (c) name and Goods and Services Tax Identification Number of the retail outlet is mentioned in the tax invoice for the inward supply; and
 - (d) such other restrictions or conditions, as may be specified, are satisfied.
- (5) The provisions of rule 92 shall, mutatis mutandis, apply for the sanction and payment of refund under this rule.

Explanation- For the purposes of this rule, the expression "outgoing international tourist" shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.]"

A Earlier inserted by N. No. 31/2019–Central Tax, dt. 28-06-2019 w.e.f. 01-07-2019.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 95क : ¹[.....]

1 अधिसूचना क्रमांक 14/2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा नियम 95 क विलोपित (प्रभावशील दिनांक 05.07.2022)। विलोपन के पूर्व नियम 95 क इस प्रकार था

"^A[नियम 95क : किसी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को कर मुक्त आपूर्ति करने वाले खुदरा आउटलेट को करों का प्रतिदाय

- (1) किसी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर प्रवासी काउंटर से आगे प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित प्रस्थान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को, जो भारत से जा रहा है, देशी माल की आपूर्ति करने वाली खुदरा आउटलेट ऐसे माल की आवक आपूर्ति पर इसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय की दावा करने का पात्र होगा।
- (2) आवक आपूर्तियों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने वाला खुदरा आउटलेट, यथास्थिति, मासिक या तिमाही आधार पर, साधारण पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष या आयुक्त द्वारा अधिसूचित प्रसुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरएफडी—10ख में प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन करेगा।
- (3) यथास्थिति, मास या तिमाही के दौरान की गई आपूर्ति के लिए जारी बीजकों की स्वप्रमाणित संकलित जानकारी, संबंधित क्रय बीजक के के साथ प्रतिदाय आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा सदत्त कर का प्रतिदाय तब उपलब्ध होगा, यदि—
 - (क) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कर बीजक के लिए किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से माल के आवक आपूर्ति प्राप्त की गई थी;
 - (ख) उक्त खुदरा आउटलेट द्वारा कोई कर प्रभार्य किए बिना विदेशी विनिमय में किसी बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को उक्त माल की आपूर्ति की गई थी;
 - (ग) आवक आपूर्ति के लिए कर बीजक पर खुदरा आउटलेट का नाम और माल और सेवा कर पहचान संख्या का उल्लेख है; और
 - (घ) ऐसे अन्य निर्बंधन और शर्तें, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, का समाधान कर दिया गया हो।
- (5) इस नियम के अधीन स्वीकृति और संदाय के लिए नियम 92 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "बाहर जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक" पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है और जो भारत में वैध अप्रवासी प्रयोजनों के लिए छह मास से अनिधक रूकने के लिए भारत में प्रवेश करता है।]"

A पूर्व में अधिसूचना क्रमांक 31/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 द्वारा अंतः स्थापित प्रभावशील दिनांक 01.07.2019)।